

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र संख्या-सि०को०-34/2004 पार्ट-III - 153

/पटना, दिनांक 11.08.16

प्रेषक

अरूण कुमार सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग,
डिहरी/औरंगाबाद/गया/बिहारशरीफ/भागलपुर/सहरसा/दरभंगा/
मोतिहारी/सिवान

विषय -


नहरों में जलश्राव बंद करने की स्थिति में विभाग को अविलम्ब सूचित करने के
संबंध में ।

महाशय,

प्रायः देखा जा रहा है कि नहरों में किसी व्यक्ति के डूब जाने या अन्य कारणों से
नहर को बंद करने की सूचना विभाग को समय पर नहीं दी जाती है। इससे विभाग को क्षेत्रीय
स्तर पर उत्पन्न गतिविधि की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है।

अतः निदेश है कि अपरिहार्य स्थिति में नहर को बंद करने या उसमें जलश्राव कम
करने की आवश्यकता पड़े तो इसकी तत्काल सूचना कारण सहित फैंक्स / वेतार संवाद /
ई-मेल द्वारा विभाग को देना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(अरूण कुमार सिंह)
प्रधान सचिव